

भारत में डिजिटल अभिव्यक्ति

यह एडिटरियल 07/07/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Takedown Transparency" लेख पर आधारित है। इसमें डिजिटल इंडिया, वाक्-स्वातंत्र्य और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में नहिति चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। एक ओर जहाँ केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 8 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रही है, वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं के ट्वीट और हैंडल को ब्लॉक करने के सरकार के बारंबार आदेश के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रटि याचिका दायर की है। पछिले एक दशक में भारत में ब्रांडबैंड कनेक्टिविटी में दस गुना वृद्धि हुई है और इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 600 मिलियन तक पहुँच गई है। कति यही हमें यह मूल्यांकन करना होगा कि "क्या संवधान के लोकतांत्रिक वादों की पूर्ति के लिये महज यह कनेक्टिविटी पर्याप्त है?" इस संदर्भ में ट्विटर द्वारा दर्ज मामले, आईटी नियमों और संबंधित विषयों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

हालिया मुद्दा:

- ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वभिन्न ट्वीट और हैंडल को ब्लॉक करने के नरिदेशों के विरुद्ध सरकार को कानूनी चुनौती दी है।
- कंटेंट मॉडरेशन नरिण्यों के मामले में स्वयं ट्विटर के पारदर्शिता तंत्र में कई समस्याएँ हैं।
 - हालाँकि यह भारतीय कानूनों की मुखर अवज्ञा के बजाय अपने प्लेटफॉर्म की अखंडता की रक्षा के लिये न्यायालय का रुख करने को प्रेरित हुआ है।
- संसदीय ऑकड़ों के अनुसार, सरकार के ऐसे आदेशों की संख्या वर्ष 2014 में 471 से बढ़कर वर्ष 2020 में 9,849 हो गई, जो 1991% वृद्धि को सूचित करती है।
 - ऐसे आदेशों की बस संख्या ही ज्ञात है, ऐसे आदेशों का व्यापक गुणात्मक मूल्यांकन आधिकारिक गोपनीयता द्वारा नरिद्ध किया जाता है।
 - प्रकटीकरण की आवश्यकता प्रत्यक्ष रूप से श्रेया सधिल और अनुराधा भसीन मामले के नरिण्यों के संयुक्त वाचन से उभरती है।
- ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाना:
 - जून 2022 के अंत में सप्ताह में खुलासा हुआ कि ट्विटर ने भारत में कई अकाउंट्स और ट्वीट्स को नरिद्ध किया था।
 - ऐसे अकाउंट में राजनेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि 'फ्रीडम हाउस' जैसे वैश्विक थकि टैंक के अकाउंट भी शामिल थे।
 - यही परदृश्य फरवरी और अप्रैल 2021 में भी देखने को मिला जब कथित रूप से किसानों के आंदोलन का समर्थन करने और कोविड-19 की दूसरी लहर पर सरकार की कार्रवाई की आलोचना करने वाले कंटेंट को नरिद्ध किया जाने के नरिदेश दिये गए थे।

सरकार द्वारा 'डिजिटल स्पीच' पर नयितरण के साधन

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021:
 - परचिय:
 - सोशल मीडिया के लिये वृहत सतर्कता के अभ्यास का अधदिश:
 - आईटी नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के संबंध में वृहत सतर्कता (Diligence) के अभ्यास का नरिदेश देता है।
 - शिकायत अधिकारी की नयिकृति:
 - उन्हें एक शिकायत नविवरण तंत्र स्थापित करना होगा और नरिधारित समय-सीमा के भीतर गैर-कानूनी और अनुपयुक्त सामग्री को हटाने की आवश्यकता होगी।
 - प्लेटफॉर्म के शिकायत नविवरण तंत्र का शिकायत अधिकारी उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को ग्रहण करने और उनका समाधान करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
 - संशोधन का मसौदा प्रस्तावति:
 - शिकायत अपीलीय समति:
 - इसने नगरिनी के एक अतरिकित स्तर का प्रस्ताव रखा, जिसे 'शिकायत अपीलीय समति' (Grievance Appellate Committee) कहा गया है। यह मध्यस्थ शिकायत नविवरण अधिकारी के ऊपरी स्तर पर कार्यरत होगी।
 - इसका अर्थ यह है कि यदि कोई उपयोगकर्ता मध्यस्थ द्वारा प्रदान किये गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह सीधे अदालत जाने के बजाय अपीलीय समति में नरिणय के विरुद्ध अपील कर सकता है।
 - हालाँकि इसने न्यायालय में अपील करने के उपयोगकर्ता के अधिकार का आहरण नहीं किया है।

■ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66A:

- धारा 66A द्वारा पुलिस को इस आधार पर गरिफ्तार करने का अधिकार दिया था कि कोई कंटेंट उनके व्यक्तिपरक वक्तव्य के अनुसार 'आक्रामक' या 'धमकी-पूरण' हो अथवा वदिवेष, पीड़ा देने आदि की मंशा से प्रकट किया गया हो।
- इसने कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन या टैबलेट जैसे किसी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से वदिवेषपूरण या धमकी-पूरण संदेश भेजने के लिये दंड का प्रावधान किया था जहाँ दोषी को अधिकतम तीन वर्ष का कारावास दिया जा सकता था।
- वर्ष 2015 में न्यायालय द्वारा धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया गया था, लेकिन अभी भी कई मामलों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

■ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A:

- यह केंद्र और राज्य सरकारों को किसी "किसी कंप्यूटर संसाधन में जनति, पारोषति, प्राप्त, भंडारति या परपोषति किसी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिये" नरिदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
- जनि आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं:
 - देश की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिये।
 - वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूरण संबंधों के हति में।
 - लोक व्यवस्था के हति में या उपर्युक्त से संबंधति किसी भी संज्ञेय अपराध के किये जाने में उददीपन को रोकने के लिये।
 - किसी भी अपराध की जाँच के लिये।
- धारा 69A केंद्र सरकार को किसी प्राधिकृत एजेंसी या किसी मध्यस्थ को किसी कंप्यूटर संसाधन में जनति, पारोषति, प्राप्त, भंडारति या परपोषति किसी सूचना की सार्वजनिक पहुँच के अवरोध के लिये नरिदेश देने में सक्षम बनाती है।
 - पहुँच को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित रूप से दिये गए कारणों पर आधारति होना चाहति है।

सरकार के वनियमों में नहिति चुनौतियाँ

■ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 में समस्याजनक संशोधन का प्रस्ताव:

- **अभिव्यक्ति के दमन के लिये सरकार को मध्यस्थ बनाना:**
 - हालाँकि सरकार ने संशोधन के मसौदे को उसी दिन वापस ले लिया था लेकिन इससे सरकार की मंशा का पता चला। प्रस्तावति संशोधन ने सरकार को इंटरनेट पर स्वीकार्य अभिव्यक्ति का वविचक या मध्यस्थ बना दिया होता और वह सरकार के लिये किसी भी प्रतिकूल अभिव्यक्ति के दमन के लिये सोशल मीडिया पर दबाव रख सकती थी।
 - इसने सरकार को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A या संवधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लेख नहीं किये गए आधारों पर भी अभिव्यक्ति को सेंसर करने का अधिकार दिया होता।
- **शकियातों के समाधान का दायतिव सोशल मीडिया पर:**
 - मसौदे में यह दायतिव सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों पर रखा गया था कि रिपोर्टिंग के 72 घंटों के अंदर सभी शकियातों का समाधान किया जाए।
 - जबकि उल्लेखनीय है कि मध्यस्थ सेंसर के लिये नरिदेशति कंटेंट और उपयोगकर्त्ता अकाउंट की पूरी तरह से जाँच करने और नरिणय लेने में पर्याप्त समय लेते हैं।
 - इस प्रकार, एक अल्प समय-सीमा ने कार्रवाई में अतिजल्दबाजी संबंधी आशंकाओं को जन्म दिया।

■ धारा 66A:

- **अपरभाषति कृत्यों पर आधारति:**
 - न्यायालय ने पाया कि धारा 66A की कमजोरी इस तथ्य में नहिति है कि इसने अपरभाषति कृत्यों, जैसे "असुवधि, खतरा, बाधा और अपमान" के आधार पर अपराध का नरिधारण किया है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले संवधान के अनुच्छेद 19 के तहत उल्लेख किये गए अपवादों में शामिल नहीं हैं।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय का अभाव:**
 - इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि धारा 66A में समान उद्देश्य रखने वाले कानून के अन्य वर्गों की तरह प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (जैसे कार्रवाई से पहले केंद्र का अनुमोदन प्राप्त करना) शामिल नहीं थे।
 - स्थानीय अधिकारी स्वायत्त रूप से (वस्तुतः अपने राजनीतिक आकाओं की मर्जी से) कार्रवाई हेतु आगे बढ़ सकते थे।
- **मौलिक अधिकारों के वरिद्ध:**
 - धारा 66A संवधान के अनुच्छेद 19 (वाक्-स्वातंत्र्य) और 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के प्रतिकूल थी।
 - **जानने का अधिकार** (Right to know) अनुच्छेद 19(1)(A) द्वारा प्रदत्त वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार में नहिति है।

आगे की राह

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अधिक जानकारी साझा करने हेतु वविश करना अनुत्पादक साबति हो सकता है जहाँ नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पक्ष द्वारा किये गए उल्लंघन से स्वयं की रक्षा के लिये कोई डेटा गोपनीयता कानून मौजूद नहीं है।
 - इस संदर्भ में व्यक्तिगत **डेटा संरक्षण वधियक, 2019** को पारति करने में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।
- उसके बाद भी यद्विनियमन की आवश्यकता अनुभव की जाती है तो इसे संसद में बहस के साथ पारति कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहति है, न कि आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्यकारी के नयिम-नरिमाण शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहति है।
- **हतिधारकों के साथ वविचार-वमिर्श:** नए नयिमों में वास्तव में कई समस्याएँ मौजूद हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा समस्या यह है कि इन्हें बना किसी सार्वजनिक परामर्श के पेश किया गया था।
 - इन नयिमों को लेकर जारी आलोचना का समाधान यह होगा कि एक श्वेत पत्र के प्रकाशन के साथ नए सरि से शुरुआत की जाए।

अभ्यास प्रश्न: हाल में सोशल मीडिया पर अकाउंट्स और पोस्ट्स को सरकार द्वारा नरुद्ध कथिा जाना अभवियक्ती की स्वतंत्रता के संकट को प्रकट करता है । टपिपणी कीजयि ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-speech-in-india>

